भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 448

03 फरवरी, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष शिक्षा का विकास

448. श्री सी.एन. अन्नादुरई:
श्री धनुष एम. कुमार:
श्रीमती मंजुलता मंडल:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा कुछ आयुष महाविद्यालयों/संस्थानों की स्थापना की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का देश में डॉक्टरों की कमी की समस्या का समाधान करने के लिए नए आयुष महाविद्यालयों की स्थापना/को मान्यता देने और चिकित्सकों को प्रशिक्षित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए निर्धारित मानदंड क्या हैं और उनमें आने वाली चुनौतियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में आयुष शिक्षा के पर्यवेक्षण और विनियमन के लिए कोई विनियामक/विनियामकीय तंत्र स्थापित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का तमिलनाडु/ओडिशा सहित देश में आयुष क्षेत्र में और अधिक शैक्षिक अवसर सृजित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) सरकार द्वारा देश में आयुष शिक्षा के संवर्धन और विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

आयुष मंत्री (श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): दिनांक 31.01.2023 तक, देश में सरकारी आयुष कॉलेजों के बारे में सूचना **संलग्नक-I** में है।

(ख): चूंकि जन-स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए आयुष शिक्षा पद्धति के लिए नए शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करना संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है। तथापि, शैक्षिक वर्ष 2022-23 के लिए नए सरकारी आयुष चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों से एनसीआईएसएम (भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग) और एनसीएच (राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग) में प्राप्त प्रस्तावों को **संलग्नक-II** में दिया गया है।

इसके अलावा, एनसीआईएसएम ने चिकित्सकों को प्रशिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के आधार पर आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और सोवा-रिग्पा पद्धतियों के लिए योग्यता आधारित/परिणाम आधारित पाठ्यक्रम विकसित किया है।

(ग): देश भर में आयुष कॉलेजों की गुणवत्ता और उनके कामकाज में सुधार के लिए विनियमित/ पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम)

अधिनियम, 2020 और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच) अधिनियम, 2020 को अधिसूचित किया गया और 21 सितंबर, 2020 को भारत के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया। भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम) अधिनियम, 2020 के तहत, देश में आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और सोवा-रिग्पा शिक्षा की निगरानी और विनियमन के लिए निम्नलिखित नियामक निकाय हैं:-

i. आयुर्वेद बोर्ड;
ii. यूनानी, सिद्ध और सोवा-रिग्पा बोर्ड;
iii. भारतीय चिकित्सा पद्धति चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड; और
iv. भारतीय चिकित्सा पद्धति नैतिकता और पंजीकरण बोर्ड

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच) अधिनियम, 2020 के तहत, देश में होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पतालों तथा होम्योपैथी पाठ्यक्रम की निगरानी और विनियमन के लिए निम्नलिखित नियामक निकाय हैं:-

i. होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड;
ii. होम्योपैथी चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड;
iii. होम्योपैथी नैतिकता और पंजीकरण बोर्ड

इसके अलावा, एनसीआईएसएम और एनसीएच के तहत ये सभी नियामक बोर्ड क्रमशः भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम) अधिनियम, 2020 और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच) अधिनियम, 2020 के दायरे में काम करते हैं।

भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम) अधिनियम, 2020, निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है: https://ncismindia.org/ncism-act-2020.php

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच) अधिनियम, 2020, निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है: http://nch.org.in/upload/pdf_upload-381801.pdf

(घ): शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए नए सरकारी आयुष मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों से एनसीआईएसएम (भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग) और एनसीएच (राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग) में प्राप्त प्रस्तावों को **संलग्नक-II** में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, एनएएम के अंतर्गत, उन राज्यों में नए आयुष कॉलेजों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान है जहां सरकारी क्षेत्र में आयुष शिक्षण संस्थाओं की उपलब्धता अपर्याप्त है। राज्य सरकार एनएएम के दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार राज्य वार्षिक कार्य योजना (एसएएपी) के माध्यम से इसे प्रस्तुत करके पात्र वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती है। एनएएम के अंतर्गत अनुमोदित आयुष कॉलेजों का ब्यौरा **संलग्नक-III** में प्रस्तुत है। इससे आयुष क्षेत्र में अधिक शैक्षिक अवसरों का सृजन होगा।

(ङ): देश में आयुष शिक्षा के संवर्धन और विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को **संलग्नक-IV** में दिया गया है।

*****

संलग्नक-I

दिनांक 31.01.2023 तक देश में आयुष सरकारी मेडिकल कॉलेजों का विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आयुर्वेद कॉलेजों की संख्या	सिद्ध कॉलेजों की संख्या	यूनानी कॉलेजों की संख्या	सोवा-रिग्पा कॉलेजों की संख्या	होम्योपैथी कॉलेजों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	01	-	-	-	03
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-
3.	असम	01	-	-	-	03
4.	अंदमान एवं निकोबार द्वीप	-	-	-	-	-
5.	बिहार	02	-	01	-	01
6.	चंडीगढ़	-	-	-	-	-
7.	छत्तीसगढ़	02	-	-	-	-
8.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	03	-	01	-	02
9.	दादरा नागर हवेली एवं दमण और दीव	-	-	-	-	-
10.	गोवा	01	-	-	-	-
11.	गुजरात	07	-	-	-	04
12.	हरियाणा	03	-	-	-	-
13.	हिमाचल प्रदेश	01	-	-	-	-
14.	जम्मू-कश्मीर	01	-	02	-	-
15.	झारखंड	-	-	-	-	01
16.	कर्नाटक	04	-	02	-	01
17.	केरल	03	-	-	-	06
18.	लद्दाख	-	-	-	02	-
19.	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-
20.	मध्य प्रदेश	07	-	01	-	01
21.	महाराष्ट्र	06	-	-	-	01
22.	मणिपुर	-	-	-	-	-
23.	मेघालय	01	-	-	-	01
24.	मिजोरम	-	-	-	-	-
25.	नागालैंड	-	-	-	-	-
26.	ओडिशा	03	-	-	-	04
27.	पुडुचेरी	01	-	-	-	-
28.	पंजाब	01	-	-	-	-
29.	राजस्थान	03	-	01	-	02
30.	सिक्किम	-	-	-	01	-
31.	तमिलनाडु	01	03	01	-	01
32.	तेलंगाना	02	-	02	-	01
33.	त्रिपुरा	-	-	-	-	-
34.	उत्तर प्रदेश	09	-	03	01	09
35.	उत्तराखंड	03	-	-	-	-
36.	पश्चिम बंगाल	02	-	-	-	05
	कुल	**68**	**03**	**14**	**04**	**46**

आयुष राजकीय कॉलेजों का कुल योग-135

संलगनक-II

शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए नए आयुष राजकीय मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हेतु विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का विवरण

क्र.सं.	राज्य	आयुर्वेद कॉलेज	यूनानी कॉलेज	सिद्ध कॉलेज	सोवा रिग्पा कॉलेज	होम्योपैथी कॉलेज
1	महाराष्ट्र	राजकीय आयुर्वेद कॉलेज और अस्पताल, बारामती, पोस्ट-मेदाद एस. सं.-414/1, मोरगाँव रोड, बारामती, जिला पुणे-413102, महाराष्ट्र	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	राजस्थान	राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, वैद दादूदयाल जोशी राजकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय, तलवंडी, कोटा-324005, राजस्थान				
3	राजस्थान	राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, श्री वृषभानु कुमारी (एसवीके) गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के सामने, अटलबंद, भरतपुर-321001, राजस्थान				
4	राजस्थान	राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, केकारी, अजमेर-305404, राजस्थान				
5	राजस्थान	राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, सरकारी जिला चिकित्सालय, बांद्रा बास, बीकानेर-334001, राजस्थान				
6	राजस्थान	राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, प्रताप नगर, जयपुर-302033, राजस्थान				
7	राजस्थान	राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, डॉ. राजेंद्र प्रसाद जिला आयुर्वेद चिकित्सालय, रानीसती रोड, सीकर-332001, राजस्थान				
8	हरियाणा	बाबा खेतनाथ राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज और अस्पताल, गांव-पटीकरा, नारनौल, जिला- महेंद्रगढ़, हरियाणा				
9	बिहार	राजकीय महारानी रामेश्वरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल साइंसेज, मोहनपुर, दरभंगा, बिहार-846007				

संलगनक-III

एनएएम के तहत अनुमोदित नए शैक्षिक संस्थानों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार सूची:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	स्थान
1	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम स्थित राजकीय प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग मेडिकल कॉलेज
2	कर्नाटक	मैसूर स्थित राजकीय प्रकृति उपचार और योग कॉलेज
		मेन-त्सी-खांग (सोवा रिग्पा) कॉलेज, बैंगलोर
3	मणिपुर	केइराव, मणिपुर स्थित होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज
4	सिक्किम	नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी (सोवा रिग्पा), देवराली, गंगटोक
5	हरियाणा	राजकीय यूनानी कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अकेरा, जिला नूह
		राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल, गांव चांदपुरा, अंबाला कैंट, जिला अंबाला
6	पश्चिमी बंगाल	बेलूर स्टेट जनरल अस्पताल, हावड़ा स्थित योग और प्राकृतिक चिकित्सा डिग्री कॉलेज
7	जम्मू-कश्मीर	राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, अखनूर, जम्मू
8	गुजरात	राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, सुरेंद्रनगर
9	उत्तर प्रदेश	राज्य आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अयोध्या
		राज्य होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल , वाराणसी
10	तमिलनाडु	राजकीय सिद्ध मेडिकल कॉलेज, पलानी, जिला डिंडीगुल

संलग्नक-IV

देश में आयुष शिक्षा के संवर्धन और विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

i. चिकित्सा शिक्षा (आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और सोवा-रिग्पा स्नातक-पूर्व पाठ्यक्रम) में न्यूनतम मानक अपेक्षाओं को अधिसूचित किया गया है।

ii. एनसीआईएसएम ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के आधार पर आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और सोवा-रिग्पा पद्धतियों के लिए पहला पेशेवर योग्यता आधारित/परिणाम आधारित पाठ्यक्रम तैयार कर उसे कार्यान्वित किया है।

iii. चूंकि एनसीआईएसएम कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, इसलिए अभ्यास/ नैदानिक प्रशिक्षण के लिए समर्पित शिक्षण घंटे, कक्षा शिक्षण घंटों से दुगुने कर दिए गए हैं।

iv. बहु-विषयक पहलुओं के ज्ञान से परिचित कराने के लिए, सभी आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और सोवा-रिग्पा कॉलेजों के लिए ऑनलाइन वैकल्पिक पाठ्यक्रम लागू किए गए हैं।

v. एएसयू कॉलेजों में पीजी शोध प्रबंध कार्य और बाद के प्रकाशनों की गुणवत्ता में सुधार के लिए एनसीआईएसएम द्वारा सभी पीजी गाइडों के लिए एक अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया है।

vi. एनसीआईएसएम ने एएसयू पीजी छात्रों के लिए उद्योग उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उद्योग और अकादमी के बीच संपर्क की सुविधा प्रदान करने के लिए कार्यवाही शुरू की है।

vii. एएसयू के पाठ्यक्रम में आधुनिक प्रगति, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास को शामिल करने हेतु कार्यप्रणाली तैयार करने के लिए एनसीआईएसएम द्वारा कदम उठाए गए हैं।

viii. सभी आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी (एएसयू एंड एच) स्नातक-पूर्व पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु एक समान प्रवेश परीक्षा अर्थात् राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (एनईईटी)।

ix. सभी एएसयू एंड एच संस्थानों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु एक समान प्रवेश परीक्षा अर्थात अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा (एआईएपीजीईटी)।

x. अखिल भारतीय कोटा सीटें सृजित की गई हैं: शैक्षणिक वर्ष 2019-20 से सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, निजी कॉलेजों, मानित विश्वविद्यालयों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय संस्थानों में सभी एएसयू एंड एच (यूजी और पीजी) पाठ्यक्रमों की कुल सीटों का न्यूनतम 15% (जो संबंधित राज्य/विश्वविद्यालय/संस्थानों के मौजूदा नियमों के अनुसार अधिक हो सकता है)

xi. एमबीबीएस इंटर्न के लिए ऐच्छिक के रूप में भारतीय चिकित्सा पद्धति (एएसयू पद्धति के लिए) का एक मॉड्यूल तैयार किया गया है।

xii. राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में आयुष के एकीकरण के लिए बी.एससी. नर्सिंग हेतु आयुष मॉड्यूल तैयार किया गया।

xiii. मेडिकल छात्रों के लिए पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के पहले वर्ष से प्रारंभिक नैदानिक अवसर प्रदान किया गया है।

xiv. देश भर में एएसयूएस स्नातकोत्तर संस्थानों के सभी पीजी गाइडों को प्रशिक्षित करने के लिए एनसीआईएसएम ने मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया है जो प्रकाशन नैतिकता, अनुसंधान सत्यनिष्ठा और वैज्ञानिक लेखन में सुविज्ञ होते हैं।

xv. एनसीआईएसएम ने शैक्षिक प्रौद्योगिकीविदों के रूप में आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और सोवा-रिग्पा के शिक्षण संकायों को प्रशिक्षित किया है।

xvi. एनसीआईएसएम ने स्पार्क (एसपीएआरके) योजना के तहत यूजी और पीजी छात्रों को शोध अनुदान प्रदान करने के लिए सीसीआरएएस के साथ समझौता ज्ञापन किया है।

xvii. हील बाई इंडिया: एएसयूएस के अंतिम पेशेवर छात्रों और इंटर्न के लिए विदेशों में अवसर पाने के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम शुरू किया गया है।